फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड,शाखाः– 44 व 45, द्वितीय मंजिल, स्काई डेक बिल्डिंग, भोपालपुरा मट्ठ, एम. जी. कॉलेज रोड़, उदयपुर (राज.) 313001 जरिये प्राधीकृत अधिकारी **– प्रार्थी / सिक्योर कैडिटर**

बनाम

1. श्री नेहरू लाल यादव पुत्र श्री शोभाराम यादव, निवासी :– (अ) 53, वार्ड नं.11, यादव मौहल्ला, नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द(राज.) 313301 (ब) वार्ड नं. 11, यादव मौहल्ला, नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द(राज.) 313301
2. श्रीमती चोटी बाई यादव पत्नी श्री नेहरू लाल यादव, निवासी 53, वार्ड नं. 11, यादव मौहल्ला, नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द(राज.) 313301

–अप्रार्थीगण / ऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 57 / 2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 28.11.2019 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड उदयपुर ने दिनांकः 21.10.19 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण / ऋणी को कुल रूपये रू. 3,60,375 /– की ऋण सुविधा दिनांक 27 / 06 / 2014 को होम इम्प्रूवमेन्ट लोन के बाबत उपलब्ध कराई थी व अप्रार्थी ऋणीयों / जमानतदारों द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के ऐवज में अन्य समपत्तियों के साथ श्री नेहरू लाल यादव पुत्र श्री शोभाराम यादव की पटटा सं. 131, वार्ड नं. 11, यादव मौहल्ला, नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 937.87 वर्गफीट) को प्रार्थी के हक मे बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थी / ऋणी ने उपलब्ध ऋण को वित्तीय संस्था के नियमानुसार नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 15 / 08 / 2016 को एन.पी.ऐ. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी / ऋणी के ऋण खातें में रू. 3,07,775 /– दिनांक 19 / 08 / 2016 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाता दिनांक 15 / 08 / 2016 को एन.पी.ऐ. घोषित होने के	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कारण ''एक्ट'' की धारा 13(2) के अर्न्तगत प्रार्थी वित्तीय संस्था ने ऋणी (अप्रार्थी) सह ऋणी एवं जमानती को दिनांक 19/08/2016 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस प्रप्ति के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न ही, बंधकशुदा संम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर अन्दर ऋण राशि रू. 3,07,775/– दिनांक 19/08/2016 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे जमा कराना था परन्तु ऋणी एवं जमानती ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। एक्ट की धारा 14 के अर्न्तगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी वित्तीय संस्था को निम्न बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने व कायम रखने में सहायता आवश्यक है, के कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था ने माननीय जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वित्तीय संस्था सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेन्ट्स कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलवाने व कायम रखने के लिए एवं प्रतिभूत आस्तियों के सूचारू रूप से विक्रय एवं अन्तरण(नीलामी) हेतु उपरोक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है। वित्तीय संस्था सिक्योरिटीज का विवरण :– श्री नेहरू लाल यादव पुत्र श्री शोभाराम यादव, की पट्टा सं0 131, वार्ड नं. 11, यादव मौहल्ला, नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द(राज.) में स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 937.87 वर्गफीट) के पडौस :– पूर्व में गली, पश्चिम में श्री हीरालाल यादव की सम्पत्ति, उत्तर में श्री राजू यादव की सम्पत्ति, दक्षिण में आम रास्ता।

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 04.10. 2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 19.08.2016 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे एवं अखबार की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, शाखा उदयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :– श्री नेहरू लाल यादव पुत्र श्री शोभाराम यादव, की पट्टा सं0 131, वार्ड नं. 11, यादव मौहल्ला, नाथद्वारा, जिला– राजसमन्द(राज.) में स्थित सम्पत्ति (उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार क्षेत्रफल 937.87 वर्गफीट) के पडौस :– पूर्व में गली, पश्चिम में श्री हीरालाल यादव की सम्पत्ति, उत्तर में श्री राजू यादव की सम्पत्ति, दक्षिण में आम रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, शाखा उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी शुभम हाऊसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, शाखा उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)